



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1969]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 30, 2018/ज्येष्ठ 9, 1940

No. 1969]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 30, 2018/JYAISTHA 9, 1940

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2018

का.आ. 2183(अ).—यतः केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 5 सितंबर, 2017 के का.आ. 2920(अ) के माध्यम से "सौर प्रकाशवोल्टीय, प्रणालियां उपकरण और संघटक माल (अनिवार्य पंजीकरण हेतु आवश्यकताएं) आदेश जारी किया था जो 5 सितंबर, 2018 से लागू किया गया था और यतः भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) सहित विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा करने के बाद, दिनांक 16 अप्रैल, 2018 के का.आ. 1602 (अ) के द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित उक्त आदेश की तारीख 16 अप्रैल, 2018 को बढ़ा दी गई थी, संलग्न अनुसूची में प्रत्येक उत्पाद के सामने दी गई तारीख के उल्लेख के अनुसार उन्नत रहेगी और यतः, इस आदेश के सुचारू कार्यान्वयन के लिए अनुसूची में शामिल एसएल संख्या 4 और 5 के उत्पादों से संबंधित मुद्दों पर हितधारकों के साथ चर्चा की गई, अनुसूची में और आगे के संशोधन 5 सितंबर, 2017 के मूल आदेश के अनुसार मद संख्या 6 के रूप में जोड़ा गया है और 16 अप्रैल, 2018 को प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 2 के साथ अधिसूचित किए गए हैं।

2. यतः, संलग्न अनुसूची में उल्लिखित क्रम संख्या 1 से 5 के उत्पादों के परीक्षण के लिए, लिए जाने वाले समय पर विचार करते हुए एसपीवी मॉड्यूल और इंवर्टर के मामले में विनिर्माता परीक्षण को पूरा किए जाने की संभावित तारीख के साथ प्रयोगशालाओं को प्रतिदर्शों (नमूनों) के प्रमाण सहित यह स्व-प्रमाणन प्रस्तुत कर सकते हैं कि उनके उत्पाद संबंधित भारतीय मानकों अथवा उनके आईईसी प्रतिस्थानियों (उत्तरवर्ती मानकों सहित, यदि कोई हो) के अनुरूप हैं। इस प्रकार की छूट 30 जून, 2018 तक लागू होगी।

यह प्रावधान किया गया है कि जिस माल के लिए स्व-प्रमाणन किया जा रहा है, को पहले ही आईईसी द्वारा प्रमाणित किया गया हो, के मामले में ऊपर खंड 2 के अंतर्गत स्व-प्रमाणन के साथ प्रतिदर्शों को प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा। ऐसे मामले में, स्व-प्रमाणन के लिए आईईसी प्रमाण पत्र और परीक्षण रिपोर्टों के साथ संलग्न किया जाना पर्याप्त होगा।

आगे यह भी प्रावधान किया जाता है कि आयातित सामग्री, जिसके लिए ऊपर खंड 2 के अनुसार स्व-प्रमाणन किया जा रहा है, के मामले में विनिर्माता अथवा आयातक द्वारा स्व-प्रमाणन किया जा सकता है।

अनुसूची

क्र.सं.	उत्पाद	भारतीय मानक संख्या	भारतीय मानक का शीर्षक	कार्यान्वयन की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	क्रिस्टलाइन सिलिकॉन टेरिट्रायल फोटोवोल्टेइक (पीवी) मॉड्यूल (एसआई वफर आधारित)	आईएस 14286: 2010	क्रिस्टलाइन सिलिकॉन टेरिट्रायल फोटोवोल्टेइक (पीवी) मॉड्यूल- डिजाइन योग्यता और अनुमोदन प्रकार	16 अप्रैल 2018
2.	थिन फिल्म टेरिट्रायल फोटोवोल्टेइक (पीवी) मॉड्यूल (ए-एसआई, सीआईजीएस और सीडीटीई)	आईएस 16077: 2013	थिन फिल्म टेरिट्रायल फोटोवोल्टेइक (पीवी) मॉड्यूल- डिजाइन योग्यता और अनुमोदन प्रकार	16 अप्रैल 2018
3.	पीवी मॉड्यूल (एसआई वफर और थिन फिल्म)	आईएस/ आईईसी 61730 (भाग-1): 2004 आईएस/ आईईसी 61730 (भाग-2): 2004	निर्माण के लिए फोटोवोल्टिक (पीवी) मॉड्यूल सुरक्षा योग्यता भाग 1 की आवश्यकताएँ परीक्षण के लिए फोटोवोल्टिक (पीवी) मॉड्यूल सुरक्षा योग्यता भाग 2 की आवश्यकताएँ	16 अप्रैल 2018 (अग्नि परीक्षण के बिना) 1 जुलाई 2018 (अग्नि परीक्षण के साथ)
4.	फोटोवोल्टिक विद्युत प्रणाली में उपयोग के लिए विद्युत इन्वर्टर	आईएस 16221 है (भाग-1): 2016 आईएस 16221 है (भाग-2): 2015	फोटोवोल्टिक विद्युत प्रणाली भाग 1- सामान्य आवश्यकताओं में उपयोग के लिए विद्युत कन्वर्टर्स की सुरक्षा फोटोवोल्टेइक विद्युत प्रणाली भाग 2 इन्वर्टर के लिए विशेष आवश्यकताओं में उपयोग के लिए विद्युत कन्वर्टर्स की सुरक्षा-	16 अप्रैल, 2018 (100 किलोवाट तक के इन्वर्टर के लिए) 1 अक्टूबर 2018 (100 किलोवाट से ऊपर के इन्वर्टर के लिए)
5.	उपयोगिता-इंटरकनेक्टेड फोटोवोल्टिक इन्वर्टर्स	आईएस 16169: 2014	उपयोगिता-इंटरकनेक्टेड फोटोवोल्टेइक इन्वर्टर के लिए आइलैंडिंग रोकथाम के उपाय की जांच प्रक्रिया	16 अप्रैल, 2018 (100 किलोवाट तक इन्वर्टर के लिए) 1 अक्टूबर 2018 (100 किलोवाट के ऊपर के इन्वर्टर के लिए)
6.	स्टोरेज बैटरी	आईएस 16270	सौर प्रकाशवोल्टीय अनुप्रयोग के लिए सेकेंडरी सैल और बैटरियां। सामान्य- आवश्यकताएं और परीक्षण की प्रणालियां	16 अप्रैल, 2018

[फा. सं. 223/140/2017-आर एंड डी समन्वय]

डॉ. बी. एस. नेगी, सलाहकार/वैज्ञानिक 'जी' एमएनआरई

MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th May, 2018

S.O. 2183(E).—Whereas the Central Government had issued “Solar Photovoltaics, Systems, Devices and Components Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2017 “vide S.O. 2920 (E) dated 5 September, 2017 for six products included in the Schedule with the date of coming into force with effect from 5th September 2018. And whereas, after having discussions with the various stakeholders including the Bureau of Indian Standards (BIS), the date of coming into force of the said Order was advanced to 16th April, 2018 vide S.O. 1602(E) published in Gazette of India on 16th April, 2018 with dates of implementation indicated against each product in the Schedule annexed. And whereas, the issues relating to products at Sl. No. 4 and 5 in the Schedule have been discussed with the stakeholders for smooth implementation of this order, further amendments to the Schedule are hereby notified with addition of item No 6 as per the principal order dated 5th September 2017, and para 2 of the notification published on 16th April, 2018.

2. Whereas, considering the time taken for testing of the products at Sl. Nos. 1-5 mentioned in the Schedule annexed, the manufacturers in the case of SPV Module and Inverters may submit a self-certification that their products conform to the relevant Indian Standards or their IEC counterparts (including subsequent Standards, if any) along with proof of submission of samples to the laboratories with the expected date of completion of testing. Such relaxation shall be applicable till 30th June, 2018.

Provided that submission of samples would not be necessary along with self- certification under Clause 2 above in case the material for which self-certification is being done has been already IEC Certified. In such a case, it would be sufficient for the self-certification to be accompanied by the IEC certificate and test reports.

Provided further, that in case of imported material for which self-certification is being given as per Clause 2 above, the self-certification may be given either by the manufacturer or the importer.

SCHEDULE

Sl. No.	Product	Indian Standard Number	Title of Indian Standard	Date of Implementation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Crystalline Silicon Terrestrial Photovoltaic (PV) Modules (Si wafer based)	IS 14286 : 2010	Crystalline Silicon Terrestrial Photovoltaic (PV) Modules - Design Qualification and Type Approval	16th April 2018
2.	Thin-Film Terrestrial Photovoltaic (PV) Modules (a-Si, CiGs and CdTe)	IS 16077 : 2013	Thin-Film Terrestrial Photovoltaic (PV) Modules - Design Qualification and Type Approval	16th April 2018
3.	PV Module (Si wafer and Thin film)	IS/IEC 61730 (Part 1) : 2004 IS/IEC 61730 (Part 2) : 2004	Photovoltaic (PV) Module Safety Qualification Part 1 Requirements for Construction Photovoltaic (PV) Module Safety Qualification Part 2 Requirements for Testing	16th April 2018 (without fire test) 1st July 2018 (with fire test)
4.	Power Inverter for use in photovoltaic power system	IS 16221 (Part 1) : 2016	Safety of Power Converters for use in Photovoltaic Power Systems Part 1- General Requirements Safety of Power Converters	16th April 2018 (for inverters up to and including 100 kW)

		IS 16221 (Part 2) : 2015	for Use in Photovoltaic Power Systems Part 2- Particular Requirements for Inverters	1st October 2018 (for inverters above 100 kW)
5.	Utility – Interconnected Photovoltaic inverters	IS 16169: 2014	Test Procedure of Islanding Prevention Measures for Utility- Interconnected Photovoltaic Inverters	16th April 2018 (for inverters up to and including 100 kW) 1st October 2018 (for inverters above 100 kW)
6.	Storage battery	IS 16270	Secondary Cells and Batteries for Solar Photovoltaic Application General- Requirements and Methods of Test	16th April 2018

[F. No. 223/140/2017-R&D Coord.]

Dr. B.S. NEGI, Adviser/Scientist G, MNRE